31-12-2020

वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रा० पत्र मिसल तलबी पेश होने पर पत्रावली इकादी तारीख पेशी दिनांक 25-1-2021 से तलब की जाकर आज पेश हुई। तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त जवाब को अभिलेख पर लिया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण में बहस वकील वादीगण सुनी गयी। दरबक्त बहस वकील वादीगण ने ~~मुताबिक अनुतोष~~ व अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध शामिल रेकार्ड का, ~~अव०~~ दस्तावेजात का एवं तहसीलदार

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

खण्डेला से प्राप्त बिन्दुवार जवाब का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादीगण पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादीगण के समस्त दस्तावेजात आदि ~~का अवलोकन किया~~ में वादीगण के पिता/पति का नाम छोटूमल ही अंकित है। तहसीलदार खण्डेला ने भी अपने जवाब में उक्त दुरूस्ती की जाने हेतु अभिशंषा की है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि :-

आदेश

तन ग्राम नीमेड़ा प० ह० नीमेड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 1300 लगायत 1305, 1307 लगायत 1317, 1285, 1365 लगायत 1367 के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का गलत दर्ज नाम "चौथू/चौथू उर्फ छोटू" के स्थान पर सही नाम "छोटूमल" दुरूस्त किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ...) सत्यमेव जयते खण्डेला (सीकर)

(राकेश कुमार)
RAS
सहायक कलक्टर
~~सहायक कलक्टर~~
(फास्ट ट्रेक) ~~खण्डेला~~
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला